18-2-21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता
गण ने प्रार्थना पत्र पेश किये। आदेश हेतु दिनांक 22-2-21 को पेश हो।

22-2-21 उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पेश है।
आदेश दिनांक 18-3-21 को पेश हो।

18-3-21 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अनुसार
अधिवक्तागण - वादी अधिवक्ता एवं अधिवक्ता
प्रतिवादीगण के मध्य बहस करते आवेदक
लगातार बहस। आवेदक के अधिवक्ता
द्वारा बहस। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। आवेदक कमला जगदम्बा -
अनुसार विपक्षीगण भूमि केवल होने
की का. प्र. 2296 द्वारा विवादग्रस्त
भूमि के संबंध में पुनरावलोकन मांगा कि नायब
तहसीलदार आदेश दोषपूर्ण है।
जो उभय प्रकरण विधिक व्यवस्था
के अन्तर्गत सही है।

प्रकरण कारण सहित आदेशिका
में खारिज की जाती है। पत्रावली नियमानुसार
में रखा जाए। नकल पक्षों को मय हो।